न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **160/2013** दायर दिनाँक **31.07.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. राजु पुत्री बालुराम पत्नी गिरधारीराम, उम्र–24साल, जाति–मेघवाल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–बड़ाऊ, तहसील–खेतड़ी, जिला–झुन्झुनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. भँवरलाल पुत्र बालूराम, 2. नन्दाराम पुत्र बालूराम, 3. पूसकी पत्नी बालूराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. मदनलाल पुत्र रूघाराम, जाति–रेगर, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. चावली पत्नी रामा, जाति–मेघवाल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. लेखुराम पुत्र सुखाराम, 7. महावीरराम पुत्र सुखाराम, समस्त,जाति–रेगर, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. उप तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 160/2013
दायर दिनाँक 31.07.2013, निर्णय दिनाँक 24.05.2018
राजु बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 स्वर्गीय बालूराम के वंशज हैं।

वाकै शरहद धनकोली मे खेत खसरा नम्बर 79 रकबा 0.03 बीघा व खसरा नम्बर 78 रकबा 26.10 बीघा भूमि में वादी के पिता स्वर्गीय बालूराम का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2056–59 की खतौनी में दर्ज था। उक्त भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ जबकि वादी का अपने पिता के हिस्से 1/3 में से 1/4 हिस्सा जन्म से था। खतौनी सम्वत् 2056–59 व वर्तमान खतौनी सम्वत् 2068–71 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद धनकोली में खसरा नम्बर 79 रकबा 0.03 बीघा व खसरा नम्बर 78 रकबा 26.10 बीघा में से वादी के पिता स्वर्गीय बालूराम के 1/3 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 05 ता 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम धनकोली सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 382/329 की प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय–पत्र दस्तावेज पंजीयन संख्या 833/13 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**धनकोली** में पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 04 को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 04 ने वाद को डिक्री किया जाने में अपनी सहमति जाहिर की व किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज न होने की बात बताई। मजमें आम में प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी का वाद दावानुसार, डिक्री किया

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 160/2013
दायर दिनाँक 31.07.2013, निर्णय दिनाँक 24.05.2018
राजु बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

जाना न्याय संगत होगा। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययंन् किया।

पत्रावली पर उपलबध अभिलेख व साक्ष्यों के मद्दे नजर व उपस्थित पक्षकार द्वारा जाहिर की गयी सहमति तथा मजमें आम में मिली जानकारी के परिप्रेक्ष्य में वाद वादी साबित होने से स्वीकार किया जाकर, दावानुसार डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम धनकोली में खसरा नम्बर 79 रकबा 0.03 बीघा व खसरा नम्बर 78 रकबा 26.10 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/3 भाग भूमि में से हिस्सा 1/4 भाग भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

निर्णय, आज दिनाँक **24.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 160/2013 दायर दिनाँक 31.07.2013

वादी		प्रतिवादीगण
1. राजु पुत्री बालुराम पत्नी गिरधारीराम, उम्र–24साल, जाति–मेघवाल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–बड़ाऊ, तहसील–खेतड़ी, जिला–झुन्झुनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. भँवरलाल पुत्र बालूराम, 2. नन्दाराम पुत्र बालूराम, 3. पूसकी पत्नी बालूराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. मदनलाल पुत्र रूधाराम, जाति–रेगर, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. चावली पत्नी रामा, जाति–मेघवाल, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. लेखुराम पुत्र सुखाराम, 7. महावीरराम पुत्र सुखाराम, समस्त,जाति–रेगर, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. उप तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 24.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित प्रतिवादी संख्या 04** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम धनकोली में खसरा नम्बर 79 रकबा 0.03 बीघा व खसरा नम्बर 78 रकबा 26.10 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/3 भाग भूमि में से हिस्सा 1/4 भाग भूमि का वादी को

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.............
.......–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
कोर्ट कैम्प–धनकोली
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक:—160—2013 / रीडर / 2018 / दिनॉक 24.05.2018

प्रेषिति:—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. राजु पुत्री बालुराम पत्नी गिरधारीराम, उम्र—24साल, जाति—मेघवाल, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—बड़ाऊ, तहसील—खेतड़ी, जिला—झुन्झुनूँ, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. भँवरलाल पुत्र बालूराम, जाति—मेघवाल, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—धनकोली

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner